न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 20/2015 रिव्यू प्रार्थना पत्र

सत्यनारायण पिता मांगीलाल नुवाल निवासी शक्करगढ हाल बन्दा का खेडा तहसील जहाजपुर

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र बालूलाल शर्मा निवासी शक्करगढ
2. ग्राम पंचायत शक्करगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 निर्णय दिनांक 26.05.2015 प्रकरण सं. 18/2013

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री नवरतनमल जोशी अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.06.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी सं. 01 निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 02 के विरूद्व आप न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की है कि विपक्षी सं. 02 ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 22.03.2013 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। निगरानी दर्ज होने के बाद रिकार्ड तलब किया गया परन्तु वांछित पत्रावली थाना शक्करगढ में विचाराधीन प्रकरण सं. 110/2014 में भिजवाई जाने के आधार पर पत्रावली प्राप्त नही हुयी। इस कारण जवाब भी प्रस्तुत नही हो सका। इसी मध्य माननीय न्यायालय ने पत्रावली में बहस सुनकर आदेश पारित करते हुये आधार वर्णित करते हुए 20 फीट के आम रास्ते को भूखण्ड बताकर निर्णय जारी कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि इस रूप में रही है कि स्वयं निगराकार ने उसके भूखण्ड से संबंधित कोई पट्टा/दस्तावेज या पत्रावली प्रस्तुत ही नही की एवं प्रार्थी के स्वामित्व प्रमाण पत्र संबंधित पत्रावली भी तलब नही हो सकी। निगराकार की जायदाद के पटटे से संबंधित पत्रावली से स्पष्ट दर्शित है कि निगराकार की जायदाद के पूर्व दिशा में सटा हुआ आम रास्ता या सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही हैं बल्कि प्रार्थी गैर निगराकार की जायदाद स्थित है। लेकिन यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हो पाया। इस कारण निर्णय जैर बहस का पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रकरण सं. 18/2013 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.07.2015 को पंजीकृत

करते हुये विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये व पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 05 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विपक्षी सं. 01 निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 02 के विरूद्व आप न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की है कि विपक्षी सं. 02 ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 22.03.2013 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। निगरानी दर्ज होने के बाद रिकार्ड तलब किया गया परन्तु वांछित पत्रावली थाना शक्करगढ में विचाराधीन प्रकरण सं. 110/2014 में भिजवाई जाने के आधार पर पत्रावली प्राप्त नही हुयी। इस कारण जवाब भी प्रस्तुत नही हो सका। इसी मध्य माननीय न्यायालय ने पत्रावली में बहस सुनकर आदेश पारित करते हुये आधार वर्णित करते हुए 20 फीट के आम रास्ते को भूखण्ड बताकर निर्णय जारी कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि इस रूप में रही है कि स्वयं निगराकार ने उसके भूखण्ड से संबंधित कोई पट्टा/दस्तावेज या पत्रावली प्रस्तुत ही नही की एवं प्रार्थी के स्वामित्व प्रमाण पत्र संबंधित पत्रावली भी तलब नही हो सकी। निगराकार की जायदाद के पटटे से संबंधित पत्रावली से स्पष्ट दर्शित है कि निगराकार की जायदाद के पूर्व दिशा में सटा हुआ आम रास्ता या सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही हैं बल्कि प्रार्थी गैर निगराकार की जायदाद स्थित है। लेकिन यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हो पाया। इस कारण निर्णय जैर बहस का पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रकरण सं. 18/2013 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 को अपास्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी सत्यनारायण नुवाल को पंचायत शक्करगढ द्वारा जो स्वामित्व प्रमाण पत्र जिस भूखण्ड का जारी किया गया है वह बिना किसी जांच पड़ताल के जारी किया गया हैं व बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किया गया जिसे इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण सं. 18/2013 दिनांक 26.05.2015 को अपास्त किया गया जो उचित हैं क्योंकि प्रार्थी को जिस जगह भूखण्ड बताकर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह भूखण्ड नहीं होकर 20 फीट का आम रास्ता है जो सार्वजनिक रूप से रास्ते के रूप में उपभोग उपयोग में आ रही है। प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से निरस्तनीय है। निवेदन हैं कि प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार –"यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है, परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती

है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– " Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons."

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। निगरानी प्रकरण सं. 18/2013 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 26.05.2015 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 18/2013 निर्णय दिनांक 26.05.2015 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र में "रिव्यू के आधार में बिना साक्ष्य एवं दस्तावेज का परीक्षण किये ही निर्णय पारित किया जाना अंकित किया हैं।" जबकि इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 18/2013 निर्णय दिनांक 26.05.2015 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं । प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता हैं । जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)